फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–दावा तरमीम दुरूस्ती मु0नं0– 165/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम भालपुर तह0 सिकराय में खसरा संख्या 148, 174, 207 स्थित है जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 46/372 रकबा 5 बीघ थे। एकीकरण विभाग वालों ने अवैधानिक तरीके से नक्शाशीट में वादी की भूमि के नक्शे में भूमि के अलग अलग टुकडे कर अलग अलग नक्शों में भूमि को दर्शा दिया। जबकि एकीकरण विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए विवादित भूमि की तरमीम में सैटलमेण्ट द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसे दुरूस्त कर साबिक नक्शे अनुसार ही वर्तमान नक्शाशीट में कायम की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 46/372 रकबा 5 बीघा की सैटलमेण्ट 2008–09 से पूर्व की नक्शाशीट में तरमीम नहीं है। तथा सैटलमेण्ट के पश्चात वर्तमान नक्शाशीट में तीन अलग अलग जगह पर तरमीम की हुयी है। उक्त से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की साबिक नक्शाशीट में तरमीम नहीं होकर बड़ा नम्बर था एवं प्रकरण में वादी द्वारा साबिक नक्शाशीट अनुसार तरमीम चाही है लेकिन साबिक नक्शाशीट में तरमीम हीं नहीं होने से साबिकशीट अनुसार तरमीम किया जाना संभव नहीं है। अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	